



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 410

दर्ज तिथि:-19.12.2022

1. शशिकला पत्नी डॉ. चतराराम
जाति जाट निवासी भोजासर बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र प्रभूराम
2. कसुम्बीदेवी पत्नी मोडा
3. गिरधारी पुत्र ओम्बा
4. जबराराम पुत्र मोडा
5. तारीदेवी पत्नी प्रभू
6. नरेन्द्रकुमार पुत्र मोडा
7. नरसीराम पुत्र भगवानाराम
8. भूरा पुत्र जेठा फौत के कायम मुकाम:-
8/1 कोजाराम पुत्र भूराराम
8/2 हंजारीराम पुत्र भूराराम
8/3 टीपू पत्नी भूराराम
9. भंवराराम पुत्र मोडा
10. मदाराम पुत्र भगवाना
11. मांगीलाल पुत्र भगवाना
12. मोहनलाल पुत्र भगवाना
13. वीरमाराम पुत्र मोडा
14. सरेमल पुत्र भगवाना
15. हेमाराम पुत्र मोडा
16. हरचन्द पुत्र प्रभु
17. हीराराम पुत्र प्रभु

जाति ब्राह्मण निवासी राणोदर तहसील चितलवाना जिला जालौर

.....असल प्रतिवादी

18. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
19. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी



उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालुराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कड़वासरा
श्री राजेश जाणी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 234/5.9003 है0, 287/1.9668 है0 मौजा गांधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 07, 10-12 व 14 जरीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 8/1, 11 व 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर बहस में शामिल हुए।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए-

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 91 मौजा गांधव कला	प्रदर्श-01
नक्शा	खसरा संख्या 214 एवं 247 मौजा गांधव कला	प्रदर्श-02

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए-

साक्ष्य	नाम	जाति	निवासी
पी.डब्ल्यू-01	शशिकला पत्नी डॉ. चतराराम	जाट	भोजासर तहसील बायतु
पी.डब्ल्यू-02	मोडसिंह पुत्र हडमतसिंह	पुरोहित	गादेवी तहसील गुड़ामालानी

5. तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 22.12.2023 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1078 दिनांक 01.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 04, 06 ता 15 द्वारा जरिये असागतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-09 नियम-13 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-09 नियम-13 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 04, 06 ता 15 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया गया:-

- कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया गया एवं ना ही इस प्रकार की सूचना की कोई रिपोर्ट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत की गई है।
- कि उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा बनाई गई नहीं होने से अस्वीकार्य है। साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 की पालना नहीं की गई है।
- कि मौके पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में बनाई गई ढाणियां, चारखाड़ा, टांके आदि उक्त विभाजन प्रस्ताव में वादी को प्रस्तावित कर दिये गये हैं। जो कि अस्वीकार्य है।
- कि प्रतिवादीगण द्वारा काश्त हेतु वर्षों से उपजाऊ बनाई गई भूमि को वादी हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। जो कि विधिविरुद्ध होने से अस्वीकार्य है।
- कि वादी खरीददार होने से वादी का मुतनाजा आराजी में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। साथ ही वादी के बैचान दस्तावेज में भी कब्जे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- कि उक्त आराजी का विभाजन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-अ के अनुसार किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

6. प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1078 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 22.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1438-1457 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1438-1457 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071-2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 234/5.9003 है0, 287/1.9668 है0 मौजा गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलता कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
8. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
- (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
- (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
- (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना

किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 234/5.9003 है0, 287/1.9668 है0 मौजा गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाइमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
शशिकला पत्नी चतराराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-बा.स.भु.वि. बैंक लि. शाखा बालोतरा	गांधव कला	234 287	0.9834 0.3278	रे0अ0 रे0अ0
कुल किता 02 रकबा 1.3112 है0				
उदाराम पुत्र प्रभु हि0 1/20 हरचंद पुत्र प्रभु हि0 1/20 हीराराम पुत्र प्रभु हि0 1/20 तारीदेवी पत्नी प्रभु हि0 1/20 मदाराम पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 मांगीलाल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 मोहनलाल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 सरेमल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 नरसीराम पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 वीरमाराम पुत्र मोडा हि0 1/30 हेमाराम पुत्र मोडा हि0 1/30 जबराराम पुत्र मोडा हि0 1/30 नरेन्द्र कुमार पुत्र मोडा हि0 1/30 भंवराराम पुत्र मोडा हि0 1/30 कसुम्बीदेवी पत्नी मोडा हि0 1/30 गिरधारी पुत्र ओम्बा हि0 1/5 भूरा पुत्र जेठा हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 रणोदर खातेदार	गांधव कला	234 287	4.9169 1.6390	रे0अ0 रे0अ0
कुल किता 02 रकबा 6.5559 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022/410

दर्ज तिथि:-19.12.2022

1. शशिकला पत्नी डॉ. चतराराम
जाति जाट निवासी भोजासर बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र प्रभूराम
2. कसुम्बीदेवी पत्नी मोडा
3. गिरधारी पुत्र ओम्बा
4. जबराराम पुत्र मोडा
5. तारीदेवी पत्नी प्रभू
6. नरेन्द्रकुमार पुत्र मोडा
7. नरसीराम पुत्र भगवानाराम
8. भूरा पुत्र जेठा फौत के कायम मुकाम:-
8/1 कोजाराम पुत्र भूराराम
8/2 हंजारीराम पुत्र भूराराम
8/3 टीपू पत्नी भूराराम
9. भंवराराम पुत्र मोडा
10. मदाराम पुत्र भगवाना
11. मांगीलाल पुत्र भगवाना
12. मोहनलाल पुत्र भगवाना
13. वीरमाराम पुत्र मोडा
14. सरेमल पुत्र भगवाना
15. हेमाराम पुत्र मोडा
16. हरचन्द पुत्र प्रभु
17. हीराराम पुत्र प्रभु

जाति ब्राह्मण निवासी राणोदर तहसील चितलवाना जिला जालौर

.....असल प्रतिवादी

18. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा धोरीमन्ना
19. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगण:- श्री जगदीश कड़वासरा
श्री राजेश जाणी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 234/5.9003 है0, 287/1.9668 है0 मौजा गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
शशिकला पत्नी चतराराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-बा.स.भु.वि. बैंक लि. शाखा बालोतरा	गांधव कला	234 287	0.9834 0.3278	रे0अ0 रे0अ0
कुल किता 02 रकबा 1.3112 है0				
उदाराम पुत्र प्रभु हि0 1/20 हरचंद पुत्र प्रभु हि0 1/20 हीराराम पुत्र प्रभु हि0 1/20 तारीदेवी पत्नी प्रभु हि0 1/20 मदाराम पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 मांगीलाल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 मोहनलाल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 सरेमल पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 नरसीराम पुत्र भगवानाराम हि0 1/25 वीरमाराम पुत्र मोडा हि0 1/30 हेमाराम पुत्र मोडा हि0 1/30 जबराराम पुत्र मोडा हि0 1/30 नरेन्द्र कुमार पुत्र मोडा हि0 1/30 भंवराराम पुत्र मोडा हि0 1/30 कसुम्बीदेवी पत्नी मोडा हि0 1/30 गिरधारी पुत्र ओम्बा हि0 1/5 भूरा पुत्र जेठा हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 रणोदर खातेदार	गांधव कला	234 287	4.9169 1.6390	रे0अ0 रे0अ0
कुल किता 02 रकबा 6.5559 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुवाहाली-बाड़मेर